Rules for students

1. विद्यालय परिसर में सभी लड़कों के लिए छोटे बाल रखना अनिवार्य हैं, बालों का आकार उंगली के तीसरे हिस्से के अनुरूप होगा, एवं सभी लड़कियों को बालों की गुथ बनाना अनिवार्य है, एवं जिन लड़कियों के बाल छोटे हैं और गुथ नहीं बनाई जा सकती, उनके लिए बालों को बांधकर रखना अनिवार्य होगा। जिसके लिए लड़कियां केवल काले रंग की पिन आदि का इस्तेमाल कर सकती हैं।
2. विद्यालय परिसर में लड़कियों के लिए मेहंदी लगाना पूर्णतया वर्जित है।
3. लड़कियों के लिए बड़े नाखून रखना एवं उन पर नेल पेंट लगाना पूर्णतया वर्जित है।
4. लड़कियों के लिए विद्यालय परिसर में कीमती आभूषण पहनना पूर्णतया वर्जित है, लड़कों के लिए भी कड़ा, चेन आदि पहनना पूर्णतया वर्जित है।
5. सभी विद्यार्थियों के लिए विद्यालय परिसर में पूर्णता गणवेश में आना अनिवार्य है, सफेद वर्दी के साथ सफेद जूते तथा कॉफी वर्दी के साथ ब्लैक जूते पहनना अनिवार्य है, जुराबे बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए एवं छोटे आकार की ना हो।
6. कक्षा नौवीं से 12वीं की लड़कियों के लिए स्कर्ट पहनना वर्जित है।
7. सर्दी के मौसम में सभी विद्यार्थियों के लिए 15 सितंबर से 28 फरवरी तक स्वेटर पीली धारी वाला ही पहनना अनिवार्य है तथा 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक ब्लेजर पहनना अनिवार्य है।
8. सभी विद्यार्थियों का विद्यालय परिसर में रुमाल व आसन लेकर आना अनिवार्य है।
9. किसी भी विद्यार्थी का विद्यालय में बाइक लेकर आना पूर्णतया वर्जित है।
10. सभी विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में लंच लेकर आना अनिवार्य है।
11. अगर कोई भी विद्यार्थी विद्यालय परिसर में किसी भी झगड़े में दोषी पाया जाता है तो उसका नाम विद्यालय से काट दिया जाएगा।
12. विद्यालय परिसर में हरियाणवी भाषा का प्रयोग करना पूर्णतया वर्जित है।
13. सभी विद्यार्थियों को बस में आते जाते समय अनुशासन में रहना अनिवार्य है।
14. सभी विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि पर फीस जमा करवाना अनिवार्य है, अगर निर्धारित समय पर फीस जमा नहीं होती तो जुर्माने का प्रावधान रहेगा।
15. स्कूल लगने के पश्चात देरी से आने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश विद्यालय में वर्जित है, यह नियम विद्यालय में काम करने वाले सभी अध्यापक गण, कर्मचारियों एवं प्रबंध के सदस्यों पर भी लागू रहेगा।
16. विद्यालय आने के पश्चात किसी भी विद्यार्थी को छुट्टी नहीं दी जाएगी, अगर विद्यार्थी को जरूरी काम है तो वह विद्यार्थी घर से ही ना आए।
17. अगर कोई विद्यार्थी बिना पूर्व सूचना लगातार 3 दिन छुट्टी पर रहता है तो विद्यार्थी का नाम काट दिया जाएगा, उसे ₹300 जुर्माना राशि देकर विद्यालय में पुन: प्रवेश लेना होगा।
18. विद्यालय परिसर में सभी विद्यार्थियों का पंक्ति में चलना अनिवार्य रहेगा।
19. विद्यालय परिसर में किसी भी विद्यार्थी का मोबाइल फोन लेकर आना पूर्णतया वर्जित है अगर कोई विद्यार्थी मोबाइल लेकर आता है तो उसका मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा और विद्यार्थी को कड़ा दंड दिया जाएगा।
20. अगर कोई विद्यार्थी विद्यालय में कुछ भी गलत देखता है तो वह तुरंत उसकी सूचना विद्यालय प्रधानाचार्य या किसी भी अध्यापक को दे।

उपरोक्त सभी नियमों का पालन करना सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है।

आदेश प्राचार्य